

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

खूँटी - 14 फार्म सं 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

का.खा. रि.वि.ज.वा.द सं 08 R 15 वर्ष 11-12 धारा
 ACT 27 R 15/2015



अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी



श्रीमती मीना गुप्ता

बनाम

नरेण साव

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
27-03-12	यह रि.वि.ज.वा.द (आवेदक) श्रीमती मीना गुप्ता जे.जे. कुसदीप प्रसाद साकिन-मुरहू ग्राम-मुरहू जिला खूँटी ने न्यायालय भूमि अध्यादेश-समाह्वी खूँटी के तहत दाखिल खारिज-02/2010-11 में दिनांक-05-03-12 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। दाखिलता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक-03-04-12 को रखा।	
03-04-12	अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति की गयी है।	

3 दिनांक

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई के दिनांक सहित Action taken on order with date
1	2	3
08-06-18	आवेदक एवं विपत्ती अनुपस्थित ही निम्न न्यायप्रिय डा उपलब्ध संभव है आदेश एवं विपत्ती नगमा अनुपस्थित रहते ही आदेश पत्र	31-10-18
11/07/18	 प्रमोद कुमार के प्रस्ताव आदेश पास गयी है जा सका है। 18/07/18 के दिनांक	
18/07/18	आदेश प्राप्त हुआ जला मला मला से निकाला है। 18/07/18  18/07/18	

अपर समाहर्ता का न्यायालय, खूँटी

SAR Appeal No. - 08R15/2012

Act -R.N0- 37R15/2015

श्रीमती मीना गुप्ता - अपीलकर्ता

- बनाम् -

श्री नरेश साव - विपक्षी

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on Order with date
18.07.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत रिवीजिन वाद आवेदिका श्रीमती मीना गुप्ता, जौजे-कुलदीप प्रसाद, साकिन- मुरहू, थाना- मुरहू, जिला- खूँटी ने न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी में दाखिल-खारिज अपील वाद नं०- 02/2010- 11 में दिनांक 05.03.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, उक्त वाद को अग्रेत्तर सुनवाई हेतु दाखिल (Admit) कर विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी । विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख उपलब्ध कराया गया ।</p> <p>अपीलकर्ता एवं विपक्षी द्वारा दिनांक 04.08.2017 के बाद न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रह रहे है, जिससे बाध्य होकर न्यायालय द्वारा अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 23.06.2017 को न्यायालय में आवेदन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ने सब जज-1, खूँटी में स्वत्व वाद- 19/2014 मीना गुप्ता बनाम् नरेश साव वगैरह दाखिल किया गया है, जिसके सुनवाई होने तक वर्तमान वाद को स्थगित करते हुए अनुरोध किया गया है। अतः सब जज-1, खूँटी में दायर</p>	

